05/06/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर अभियान में प्रस्तुत हुई। वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है वाद चलाना नहीं चाहते है। खारिज फरमाया जावे। वादी। प्रार्थी की पहचान वकील वादी श्री योगेश शर्मा द्वारा की गयी। अतः वादी के निवेदन पर वाद वादी खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल फैसल शुमार होकर रेकर्ड में जमा हो। जमा। उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ	मैं वाद नहीं चलाना चाहता हूँ निशानी अंगूठा पहचान 5-6-2018 हरी प्रसाद